

**Need to formulate an effective policy for the disposal of e-waste  
generated due to cell phones in the country**

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Sir, I would like to bring to the notice of the Government the booming use of cell phones which has created a new, but dangerous, stream of e-waste. A recent survey reveals the fact that nearly eight lakh tonnes of e-waste would have been generated in our country by the end of 2012. E-waste is made up of multiple components, some of which contain toxic substances that have an adverse impact on human health and environment if not handled properly. Often, these problems arise out of improper recycling and disposal methods. Though we have specific laws to cover generation, storage, transportation and disposal of hazardous waste, there is no law for maintenance of e-waste. For instance, we have laws like the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, but such laws do not cover the disposal and recycle management of e-waste which has especially been created due to discarding of cell phone and its accessories. At present, only three per cent e-waste reaches the recycler despite the fact that 80 per cent of cell phone parts are recyclable and, if recycled in a scientific manner, environmental pollution would be reduced. Presently, such e-waste generated by discarded cell phones is recycled without proper guidelines and rules which would be a threat to environment and health.

Therefore, I request the Government to immediately initiate a special policy and legislation on disposal and handling of e-waste generated by cell phones and its parts to save our environment.

**Need to allot or give on lease the additional and unused land of railways to poor people already  
settled in that land**

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन लाखों गरीब लोगों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जो वर्षों से रेलवे की अतिरिक्त भूमि पर रह रहे हैं। महोदय, जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे के पास ऐसी काफी जमीन पड़ी हुई है, जो उपयोग में नहीं है। इस बार रेलवे बजट में भी इस बात को मंत्री महोदय ने स्वीकारा है और उन भूमियों पर पी.पी.पी. माध्यम से नया प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। महोदय, जो भूमि रेलवे के उपयोग में नहीं है और जहां वर्षों से गरीब लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को उच्छेद करके प्राइवेट कार्पोरेट हाऊस को ले आना कदाचित उचित नहीं होगा। उन भूमियों को व्यवसायीकरण करने के नाम पर गरीबों को हटाया गया तो वहां बैठे लाखों गरीब लोग बेघर हो जाएंगे। महोदय, रेलवे सिर्फ रेलगाड़ी ही नहीं है, बल्कि रेलवे से जुड़े हुए हर लोग, व्यवसाय, कालोनी, कर्मचारी, उसके कुली सबके मिलाकर एक बड़ा संगठन है। रेल से जुड़े व्यवसायों, कालोनी, कर्मचारी, उसके कुली सबको मिलाकर एक बड़ा संगठन है। रेल से जुड़े व्यवसाय एवं हॉकर्स को साथ में लेकर व्यवसाय शुरू करें तो उन लोगों का भी गुजारा होगा। अगर बाहर से बड़ी-बड़ी कम्पनियों से व्यवसाय शुरू करने लगे तो उन गरीब लोगों का हाल बेहाल हो जाएगा। महोदय, देश भर में ऐसी बहुत जमीन है, जो रेल के उपयोग में नहीं है और वर्तमान में रेलवे की कोई परियोजना भी नहीं है। इस अतिरिक्त भूमि को उन गरीब लोगों को लीज में दी जानी चाहिए, जो वहां वर्षों से रह रहे हैं। कई राज्य सरकारें उन गरीब लोगों को पट्टा देने के लिए राजी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार उन तमाम अतिरिक्त जमीन को पूरा भुगतान करके उन जमीन पर बैठे लोगों को पट्टा देना चाहती है। पश्चिम बंगाल राज्य के अन्तर्गत भी ऐसी बहुत सी रेलवे की भूमि है, जो उपयोग में नहीं है। उत्तर बंगाल में विशेषकर सिलिगुड़ी, जलपाइगुड़ी और दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में अतिरिक्त जमीन पर हजारों गरीब लोग रहते हैं, उन बस्तियों को स्थाई करना जरूरी है।